

valpet-chamoli

पत्र सं० 4-38  
प्रकरण सं० 191  
दिनांक 22-2-2011

संख्या-जी०आर०-2642/7-1-2011-800(3295)/2009

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण,  
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून : दिनांक 10 मार्च, 2011.

विषय:- जनपद-चमोली में तहसील, गैरसैण के अन्तर्गत देवलकोट ग्राम के लिए मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.62 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 2110/1जी-2918 (चमोली) दिनांक 22-02-2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-चमोली में तहसील, गैरसैण के अन्तर्गत देवलकोट ग्राम के लिए मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.62 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 8वी/यू.सी.पी. /06/344/2009/एफ.सी./2324 दिनांक 08-02-2011 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न अंतों पर प्रदान करते हैं :-

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा चिह्नित 3.24 हे० देवलकोट अवनत सिविल एवं सोयम भूमि पर, वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्त हस्तपुस्तिका के प्रस्तर 3.2(1) एवं 4.2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं पाँच वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा।
3. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति में यह शर्त अधिरोपित की गई है कि प्रश्नगत परियोजना के लिए किये जाने वाले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिह्नित सिविल एवं सोयम वन भूमि को छः माह के अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत संरक्षित वन घोषित कर वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जायेगा। यदि उक्त अवधि में इस भूमि का वन विभाग को नामान्तरित/हस्तान्तरित नहीं किया जाता है तो भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-177/2010-एफसी दिनांक 3-8-2010, जिसके द्वारा सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 5-7-2010 को सम्पन्न बैठक में लिगे गये निर्णय को राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है, उस बैठक के कार्यवृत्त में यह उल्लेख किया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिह्नित सिविल एवं सोयम वन भूमि को छः माह के अन्तर्गत संरक्षित वन तहसील वन पंचायतों को हस्तान्तरित किया जायेगा। उक्त सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने के उपरान्त सिविल एवं सोयम वन भूमि के हस्तान्तरण के विषय पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी, परन्तु भारत सरकार के आदेशानुसार इस भूमि को छः माह की अवधि में संरक्षित वन घोषित किया जायेगा।



4. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा यह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेगा और यदि उक्त व्यक्ति द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रमाणीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
6. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
7. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
8. वन विभाग तथा उसके अधिकारियों को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथावित वृक्षारोपण एवं पौध वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से निर्माण में मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
15. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा और उसका निस्तारण सम्बन्धित प्राणों की स्थानीय जनता के हक-हकूक के दृष्टिगत किया जायेगा।
16. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग निर्माण में आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एनओपीओवीओ, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूर्क वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित किया जायेगा।
18. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सड़क निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलबे को पहाड़ों के ढलान से नीचे निस्तारित नहीं किया जायेगा व उत्सर्जित मलबे के उचित निस्तारण हेतु मक उभिंग स्थलों को चयनित कर चिह्नित स्थलों पर ही मलबे का निस्तारण किया जायेगा। मक डिस्पोजल स्थलों के वानस्पतिक एवं अभियांत्रिक कार्यों के माध्यम से उपचार हेतु वन विभाग द्वारा एक उपचार योजना तैयार की जायेगी, जिसे विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर क्रियान्वित किया जायेगा। उत्सर्जित मलबे को किसी भी दशा में नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा।

2. उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं०-104/26/प्र०स०-आ०व०प्रा०वि०-दि०-4-1-2001, कार्यालय-ज्ञाप-सं०-110/26/प्र०स०-आ०व०प्रा०वि०-दि०-4-1-2001 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या: ए-2-75/दस-77-14(4)/74 दिनांक 3-2-197 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

**NARESH CHAMON**  
Environment Expert  
FPIU PWD (U-PREPARE)  
Dehradun

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)  
अपर सचिव।



संख्या:-जी03आ/0:- 2420 /7-1-2010-000(3290)/2009.

प्रेमक,

श्री राजेन्द्र कुमार,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

1553  
12/11/2010  
25-11-2010

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण,  
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून : दिनांक 30 अक्टूबर, 2010.

विषय:- जनपद-चमोली के अन्तर्गत उज्जवलपुर से जसपुर-ग्वाड़-डुंग्री मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.710 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 1072/1जी-2642 (चमोली) दिनांक 29-10-2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-चमोली के अन्तर्गत उज्जवलपुर से जसपुर-ग्वाड़-डुंग्री मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.710 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 8वीं/यू.सी.पी. /05/335/2009/एफ.सी./950 दिनांक 13-10-2010 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं :-

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा विहित 3.43 हे० क्षिरोली अवनत सिविल एवं सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्त हस्तापुस्तिका के प्रस्तर 32(1) एवं 4.2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं पाँच वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा।
3. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति में यह शर्त अधिरोपित की गई है कि प्रश्नगत परियोजना के लिए किये जाने वाले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु विहित सिविल एवं सोयम वन भूमि को छः माह के अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत संरक्षित वन घोषित कर वन विभाग के पत्र नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जायेगा। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-177/2010-एफसी दिनांक 3-8-2010, जिसके द्वारा सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 5-7-2010 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय को राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है, उस बैठक के कार्यवृत्त में यह उल्लेख किया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु विहित सिविल एवं सोयम वन भूमि को छः माह के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित कर इसके वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबन्धन हेतु वन पंचायत नियमावली, 2005 के संगत प्राविधानों के तहत वन पंचायतों को हस्तान्तरित किया जायेगा। उक्त सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने के उपरान्त सिविल एवं सोयम वन भूमि के हस्तान्तरण के विषय पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी, परन्तु भारत सरकार के आदेशानुसार इत भूमि को छः माह की अवधि में संरक्षित वन घोषित किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल अथवा प्रयोजन हेतु ही करेगा; तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्थान अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा तंत्रिकार या उचित व्यक्ति के अन्तर्गत या उनके समन्वित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेगा और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचाये जाये है अथवा कोई क्षति पहुँचाये है तो उसके लिए



- सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिफल, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
6. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिफल भुगतान के वापस हो जायेगी।
  7. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
  8. वन विभाग तथा उसके अधिकारियों को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हरतान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
  9. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं पाँच वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
  10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संरक्षितियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
  11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख-रखाव के दौरान आरा-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
  12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत गजदूरी/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
  13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आरा-पास गजदूरी/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
  14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि को अतिरिक्त आरा-पास की वन भूमि से निर्माण में गिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
  15. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा और उसका निस्तारण सम्बन्धित प्राणों की स्थानीय जनता के हक-हकूक के दृष्टिगत किया जायेगा।
  16. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग निर्माण में आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
  17. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एनओपीओ, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूर्क वृक्षारोपण निधि प्रवन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित किया जायेगा।
  18. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सड़क निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलबे को पहाड़ों के ढलान से नीचे निस्तारित नहीं किया जायेगा व उत्सर्जित मलबे के उचित निस्तारण हेतु गक डिम्पिंग स्थलों को चयनित कर चिन्हित स्थलों पर ही मलबे का निस्तारण किया जायेगा। गक डिस्पोजल स्थलों के वानस्पतिक एवं अभियांत्रिक कार्यों के माध्यम से उपचार हेतु वन विभाग द्वारा एक उपचार योजना तैयार की जायेगी, जिसे विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर क्रियान्वित किया जायेगा। उत्सर्जित मलबे को किसी भी दशा में नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गक डिस्पोजल की योजना में नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गक डिस्पोजल की योजना प्रभागीय वनाधिकारी से स्वीकृत कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ तथा नोडल अधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। गक डिस्पोजल कार्य योजना प्रेषित न कराये जाने की दशा में इसे वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन समझा जायेगा एवं कार्यवाही की जायेगी।

∴ उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं०-104/26/प्र०स०-आ०व०प्रा० वि० दि०-1-1-2001, कार्यालय ज्ञाप सं०-110/26/प्र०स०-आ०व०प्रा० वि० दि०-4-1-2001 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: ए-2-75/दस-77-14(4)/74 दिनांक 3-2-1977 तथा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेंद्र कुमार)  
अपर सचिव।

**NARESH CHAMOLI**  
Environment Expert  
FPIU PWD (U.PREPARE)  
Dehradun



प्रेषक,  
गुभाष चन्त,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन भूमि हस्तांतरण, इन्दिरा नगर,  
फॉरेस्ट कालोनी देहरादून।

09/10/18

संज्ञ

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: 02 मई, 2018

विषय:- जनपद चमोली के अंतर्गत मींग गधेरे से गड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.794 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1009/FP/UK/ROAD/17582/2016, दिनांक 16.09.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या-820/X-4-16/1(244)/2016, दिनांक 24.10.2016 में अधिरोपित कतिपय शर्तों के पूर्ण अनुपालन होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय जनपद चमोली के अंतर्गत मींग गधेरे से गड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.794 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. प्रयोक्ता विभाग वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर०सी०सी० पिलर्स लगाकर सीमांकन करेगा। जिन पर फारवर्ड तथा बैक बियरिंग भी अंकित किया जाएगा।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
5. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
6. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
7. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण-एवं-10-वर्षों-तक-उसका-रख-रखाव किया जायेगा।
9. मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोष को स्थानान्तरित किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना का निर्माण एवं तदोपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्थितियों एवं जीव जन्तुओं को कोई-नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।



14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से परियोजना निर्माण के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी के ध्य पर गक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्सर्जित मलबे का निस्तारण चिह्नित स्थलों पर ही किया जायेगा व उत्सर्जित मलबे को किसी भी दशा में पहाड़ों के ढलान से नीचे/नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा।
16. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा एवं आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलवा निस्तारण एवं परियोजना के आस-पास रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गयी धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित कर दिया गया है।
18. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेन्सी का उत्तरदायित्व होगा।
19. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।
20. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा संतोषजनक अनुपालन नहीं होने की स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड अपने माध्यम से उक्त शर्तों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगा।

भवदीय,  
(सुभाष चन्द्र)  
अपर सचिव।

संख्या: 588 (1) / X-4-1.7/1(244)/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 विधायक, थराली, चमोली को मा0 विधायक महोदय के सज्ञानार्थ द्वारा नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वन संरक्षक, गढवाल वृत्त, पौड़ी।
6. जिलाधिकारी, चमोली।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. अधिशारी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली, चमोली।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

**NARESH CHAMOLI**  
Environment Expert  
FPIU PWD (U-PREPARE)  
Dehradun

अज्ञात  
(सत्यप्रकाश सिंह)  
उप सचिव।